रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 1987/भाद्र 31, 1909

No. 491] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1987/BHADRA 31, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सं. 223/87–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 813(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 175/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट उस विनिर्दिष्ट माल को वहां लागू नहीं होगी जहां विनिर्माता विनिर्दिष्ट माल को ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के, जो इस अधिसूचना के अधीन छूट देने के लिए पात्र नहीं है, ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम से (जो रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) जोड़ देता है :

परन्तु इस पैरा में अन्तर्विष्ट कोई बात 1 अक्तूबर, 1987 के पूर्व देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए विनिर्दिष्ट माल के संबंध में लागू नहीं होगी।"

(2) स्पष्टीकरण VII के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण-VIII : —"ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम" से कोई ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम, जो चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अभिप्रेत होगा, अर्थात् कोई ऐसा नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक , नाम चिन्ह लेबिल, हस्ताक्षर या आविष्कार किया गया शब्द या लेख, जो ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है या इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है कि जिससे वह ऐसे विनिर्दिष्ट माल और ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना, व्यापार के अनुक्रम में कोई संबंध उपदर्शित करे।" ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd September, 1987

NOTIFICATION

No. 223|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 175|86-Central Excises, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the said notification,—

(i) after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"7. The exemption contained in this notification shall not apply to the specified goods where a manufacturer affixes the specified goods with a brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligible for the grant of exemption under this notification :

Provided that nothing contained in this paragraph shall be applicable in respect of the specified goods cleared for home consumption before the 1st day of October, 1987.";

(ii) after Explanation VII, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation VIII.—"Brand name" or "trade name" shall mean a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say a name or a mark, such as symbol, monogram, label, siganture or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.".

अधिसूचना

सं. 224/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 814(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत, सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 140/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 5 मई, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट उक्त माल को वहां लागू नहीं होगी जहां विनिर्माता उक्त माल को, ऐसे दूसरे व्यक्ति के, जो इस अधिसूचना के अधीन छूट दिए जाने के लिए पात्र नहीं है, ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम से (जो रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) जोड़ देता है :

परन्तु यह कि इस पैरा में अन्तर्विष्ट कोई बात 1 अक्तूबर, 1987 के पूर्व देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल के संबंध में लागू नहीं होगी।";

(2) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण-3 :—"ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम" से कोई ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम, जो चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अभिप्रेत होगा, अर्थात् कोई ऐसा नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, नाम चिन्ह, लेबिल, हस्ताक्षर या आविष्कार किया गया शब्द या लेख, जो ऐसे उक्त माल के संबंध में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है या इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है कि जिससे वह ऐसे उक्त माल और ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करने वाले के बीच, उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना, व्यापार के अनुक्रम में कोई संबंध उपदर्शित करे।"।

NOTIFICATION

No. 224|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 814(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Inida in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 140|83-Central Excises, dated the 5th May, 1983, namely :—

In the said notification,—

(i) after paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"6. The exemption contained in this notification shall not apply to the said goods where a manufacturer affixes the said goods with a brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligible for grant of exemption under this notification :

Provided that nothing contained in this paragraph shall be applicable in respect of the said goods cleared for home consumption before the 1st day of October, 1987.";

(ii) after Explanation II, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation III.—"Brand name" or "trade name" shall mean a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to the said goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between the said goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.".

अधिसूचना

सं. 225/87–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 815(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/87 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) पैरा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट उक्त माल को वहां लागू नहीं होगी जहां विनिर्माता उक्त माल को ऐसे दूसरे व्यक्ति के, जो इस अधिसूचना के अधीन छूट दिए जाने के लिए पात्र नहीं है ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम से (जो रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) जोड़ देता है;

परन्तु यह कि इस पैरा में अन्तर्विष्ट कोई बात 1 अक्तूबर, 1987 के पूर्व देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल के संबंध में लागू नहीं होगी।" ;

(2) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण-3—"ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम" से कोई ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम, जो चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अभिप्रेत होगा, अर्थात् कोई ऐसा नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, नाम चिन्ह, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार किया गया शब्द या लेख, जो ऐसे उक्त माल के संबंध में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है या इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है कि जिससे वह ऐसे उक्त माल और ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या उसके बिना, व्यापार के अनुक्रम में कोई संबंध उपदर्शित करे।" ।

[फा.सं. 339/3/86–टी.आर.यू.]

सी.पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 225|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 815(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75|87-Central Excises dated the 1st March, 1987, namely :—

In the said notification,—

(i) after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"5. The exemption contained in this notification shall not apply to the said goods where a manufacturer affixes the said goods with a brand name or trade name (registered or not) of another person who is not eligible for the grant of exemption under this notification :

Provided that nothing contained in this paragraph shall be applicable in respect of the said goods cleared for home consumption before the 1st day of October, 1987.";

(ii) after Explanation II, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation III.—"Brand name" or "trade name" shall mean a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to the said goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between the said boods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.".

[F. No. 339|3|86-TRU]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987